कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 3135 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 19/05/ 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पेय्यापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी० 9.40 से 16.40 तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 4.335 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/6274/2020।

संदर्भ:– भारत सरकार की पत्र सं० 08B/UCP/06/20/2022/FC/1325 दिनांक 03.01.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ने बिन्दुवार आख्या उपलब्ध करायी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 6452 / 12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 08 – मई, 2023 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–901 / 2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पेय्यापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार कि0मी0 9.40 से 16.40 तक चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु 4.335 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(online no.FP/UK/Road/6274/2020)**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र सं0– 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 20 / 2022 / एफ0सी0 / 1325 दिनांक 03.01. 2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में 02 बिन्दुओं में चाही गयी आख्या निम्नवत प्रस्तुत हैः–

क्र0 सं0	आपत्ति	आंख्या
1	सम्बन्धित डी0एफ0ओ0 स्वयं सी0ए0 क्षेत्र का निरीक्षण करें तथा सी0ए0 हेतु वृक्षारोपण के लिए एम0डी0एफ0 क्षेत्र की उपुयक्ता के बारे में अपनी विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
2	राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा यह स्पष्ट किया है कि 4.25 मी0 चौड़ी सड़क का निर्माण वर्ष 1996 में केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना किया गया है, जो कि एफ0सी0ए0 1980 के नियमों का उल्लघंन है। अतः सम्बन्धित डी0एफ0ओ0 से अनुरोध है कि प्रस्ताव में गाईडलाईन पैरा 1.21 के तहत एफ0सी0ए0 1980 के नियमों में हुए उल्लघंन हेतु की गयी कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	अवगत कराना है कि टी0एन0 गोडावर्मन बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 को पारित आदेश अनुसार 'वन' को परिभाषित किया गया था, जिसके अनुसार ''समस्त भूमि जो शब्दकोष के अनुसार वन है, सरकारी अभिलेखों में वनों के रुप में दर्ज है अथवा वन के रुप में मान्यता प्राप्त है चाहे उक्त पर सरकार का स्वामित्व हो या निजी व्यक्ति का वन मानी जायेगी।'' चूंकि विषयक हल्का वाहन मार्ग का निर्माण सिविल भूमि पर उक्त आदेश पारित किये जाने के पूर्व किया गया है। अतः संभवतः तत्समय मार्ग निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों अंतर्गत वन भूमि हस्तांतरण किये जाने की आवश्यकता नहीं थी।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़

परियोजना का नाम— जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पैयापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी0 9.4 से 16.4 तक चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु 4.335 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षोरोपण स्थल का अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि गुगल अर्थ में दर्शित एम0डी0एफ0 क्षेत्र वास्तव में झाड़ीनुमा है, जिसका हरियाली घनत्व 0.4 से कम है, जिसमें दिनांक 08.11.2017 की गाईडलाईन अनुसार 1000 पौध प्रति है0 की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़